मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 1–13/2010/बयालीस(1)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17 जून, 2013

संचालक,
तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश,
भोपाल।

1207
19/6/13

विषयः इंजीनियरिंग/पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में सेवा भर्ती नियम, 2004 के तहत नियुक्त विभागाध्यक्षों के नियमितिकरण की प्रक्रिया।

–00–

राज्य शासन द्वारा इंजीनियरिंग/पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में सेवा भर्ती नियम, 2004 के तहत नियुक्त विभागाध्यक्षों के नियमितिकरण हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

(1) संचालक के प्रस्ताव अनुसार एवं परिवीक्षा अवधि समाप्त करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 30 मई, 1977 में उल्लेखित प्रक्रिया के आधार पर विभागाध्यक्षों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने के संबंध में निम्नलिखित संशोधित प्रक्रिया अपनाई जाना प्रस्तावित है:–

(i) परिवीक्षा अवधि समाप्त करने का निर्णय राज्य शासन के अन्य विभागों की तरह वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में दी गई ग्रेडिंग पर आधारित होगा।

(ii) परिवीक्षा अवधि समाप्त करने के प्रकरणों की छानबीन निम्नानुसार गठित समिति द्वारा की जाएगी:–

क.	संबंधित संस्था के संचालक मण्डल/ प्रबंध समिति का अध्यक्ष	–अध्यक्ष
ख.	संचालक तकनीकी शिक्षा या उनका अधिकृत प्रतिनिधि, जो कि संयुक्त संचालक से निम्न स्तर का न हो	–सदस्य
ग.	संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा शासकीय संवर्ग का नामजद विभागाध्यक्ष	–सदस्य
घ.	संबंधित संस्था का प्राचार्य	–सदस्य सचिव

(iii) दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए संबंधित शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष पूर्ण होने पर उक्त वर्षों की गोपनीय प्रतिवेदन में कम से कम "ख" श्रेणी (अच्छा) होना आवश्यक है।

(iv) दो वर्ष की अवधि में दो से अधिक गोपनीय प्रतिवेदन होने पर सभी वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन में कम से कम "ख" श्रेणी (अच्छा) होना आवश्यक है।

(v) उक्त अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों में न्यूनतम "ख" श्रेणी न होने पर तब तक परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं मानी जाएगी तथा इन मामलों में परिवीक्षाकाल में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी तथा यदि किसी व्यक्ति को परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर या परिवीक्षाकाल में वृद्धि के पश्चात् भी उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवाएं परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की दिनांक से समाप्त करनी चाहिए।

(vi) समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरणों को संबंधित संस्था की संचालक मण्डल/प्रबंधन समिति से अनुमोदन तत्पश्चात साधारण सभा/सामान्य परिषद से अनुमोदन लेकर विभाग को अवगत कराना होगा एवं तदुपरान्त संस्था के प्राचार्य संबंधित विभागाध्यक्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के आदेश जारी कर सकेंगे।

(vii) परिवीक्षा अवधि में अवैतनिक अवकाश होने पर संबंधित विभागाध्यक्ष की परिवीक्षा अवधि अवैतनिक अवकाश की अवधि के बराबर बढ़ी हुई मानी जाएगी।

(viii) तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के ऐसे शिक्षक जो सेवा भर्ती नियम, 2004 के लागू होने के पूर्व शासकीय संवर्ग में थे तथा वर्तमान में धारणाधिकार पर भर्ती नियम, 2004 के अंतर्गत किसी शासकीय/ स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालय में पदस्थ है, की नियमितिकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार की जाएगी:-

क. इन शिक्षकों द्वारा संबंधित संस्था की सोसायटी की सेवा में आमेलन/नियमितिकरण के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने पर संस्था के नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अवधि समाप्त होने पर विचार करते हुए उनके आमेलन/पृथकीकरण संबंधी प्रस्ताव उनकी योग्यता, कार्यक्षमता तथा संस्थागत आवश्यकतानुसार समीक्षा कर, तैयार किया जाएगा तथा उनके आमेलन/पृथकीकरण का अंतिम विनिश्चय संस्था की सोसायटी के संचालक मण्डल /प्रबंधन समिति करेगी, जिसका अनुमोदन संस्था की साधारण सभा/सामान्य परिषद् से प्राप्त किया जाएगा। संबंधित अधिकारी के आमेलन/ नियमितिकरण का निर्णय लेने की स्थिति में यह निर्णय शासन द्वारा अधिकारी के शासकीय सेवा से त्याग पत्र स्वीकृत होने पर ही मान्य किया जाएगा।

ख. यदि नियुक्त शिक्षक द्वारा निर्दिष्ट कालावधि समाप्त होने पर शासकीय सेवा में वापिस जाने हेतु विकल्प दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में संबंधित संस्था के प्राचार्य ऐसे प्रकरण को शासन को उन्हें उनके मूल पद पर पदस्थ किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित करेंगे एवं तद्नुसार शासन से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

17.6.13

(ए.के. मांदलिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

क्रमांक एफ 1-13/2010/बयालीस(1)
प्रति-

भोपाल, दिनांक 17 जून, 2010

विशेष सहायक, मान. मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर
कुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल
समस्त प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग/पोलीटेकनिक महाविद्यालय मध्यप्रदेश
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

17.6.13
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन

Scanned by CamScanner